(96)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1156–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–1–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 125/अपील/2011–12.

.....

1–मोहम्मद हनीफ आ0 मोहम्मद हुसैन
2–मोहम्मद हासम आ0अहमद
दोनों निवासी घंटाघर के पास हरदा
तहसील व जिला हरदा म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला हरदा
2–राजस्व निरीक्षक डायवर्सन हरदा
3–मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद जिला हरदा
4–उपपंजीयक हरदा जिला हरदा

.....अनावेदकगण

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 11/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक जिला हरदा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि ग्राम हरदा खुर्द तहसील व जिला हरदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 27/5, 27/10 व 28/5 कुल रकबा 73,877 वर्गफीट पर बिना डायवर्सन के छोटे छोटे प्लाट का विकय किया जा रहा है जो

कि संहिता की धारा 172 का उल्लघंन है एवं आवेदकगण द्वारा कॉलोनी का निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 24–6–09 को आदेश पारित कर आवेदकगण के विरूद्ध विकास कार्य की राशि रुपये 45,68,558/– नगर पालिका में जमा कराने के आदेश दिये गये एवं अविन्यास अनुमति कराने एवं कॉलोनाईजर का पंजीयन कराने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–4–10 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः परीक्षण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनः जॉच कर दिनांक 25–5–11 को आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष पुनः अपील प्रस्तुत की गई और कलेक्टर द्वारा दिनांक 27–3–12 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–1–15 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि आवेदकगण की भूमि नगरपालिका की सीमा में आती है या नहीं। यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा कॉलोनी का निर्माण नहीं किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्षसमर्थन का अवसर दिये केवल राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करने में विधि एवं न्याय की भूल की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में आवेदकगण की भूमि नगर पालिका की सीमा से बाहर होकर अन्य ग्राम की सीमा में आती है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा बिना प्रश्नाधीन भूमि का डायवर्सन कराये कालोनी का निर्माण कार्य किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है और जिसकी पुष्टि करने में कलेक्टर एवं आयुक्त न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डों में विकय किया गया है, जबकि संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत कृषि भूमि को आवासीय भूमि में व्यपवर्तित कराकर ही उसका आवासीय उपयोग किया जा सकता है । स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 172 का उल्लघंन किया गया है क्योंकि आवेदक विकीत भूखण्ड पर केता द्वारा आवासों का निर्माण कर लिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर